न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 14/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/49

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
हीरादेवी पुत्री सावताराम, जाति जाट, निवासी चाण्डी हाल निवासी चिण्डालिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।		1. सावताराम पुत्र श्री नानुराम, जाति जाट, 2. नारायणराम पुत्र श्री सावताराम, जाति जाट, निवासी ग्राम चाण्डी, तहसील मकाराना, जिला डीडवाना–कुचामन। 3. कवरीदेवी पुत्र श्री सावताराम पत्नि श्री अमरराम बिरडा एडवोकेट, निवासी हाल ग्राम पोस्ट भदलिया वाया मौलासर, तहसील मौलासर। 4. भवराराम पुत्र श्री सावताराम, जाति जाट, निवासी ग्राम चाण्डी हाल निवासी संगम नगर, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर। 5. तहसीलदार मकराना। 6. उपपंजीयन अधिकारी मकराना।

मुन्तकिली आवेदन पत्र अधीन धारा 235 आर.टी.एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के वाद पत्र संख्या 23/2025 व टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 21/2025 बअनुवाद भवराराम बनाम सावताराम वगैरह में वाद पत्र व टी आई प्रार्थना पत्र की पत्रावली स्थानान्तरित बाबत्

उपस्थितः–
1. श्री धर्माराम अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से।
2. श्री अमरराम अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 ता 03 की तरफ से।

–:आदेशः–

दिनांक : 19.05.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. अप्रार्थी संख्या 04 ने प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 के विरूद्ध एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, [illegible] अधिनियम एवं एक टी आई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज[illegible]कारी अधिनियम बअनुवार भवराराम बनाम सावताराम [illegible] एवं टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 21/2025 दिनांक [illegible] उपखण्ड अधिकारी म[illegible]के समक्ष पेश हुआ जिसमें विद्वान अधिवक्ता अमर[illegible] जी चौधरी द्वारा केविट[illegible] की हुयी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

होने से विद्वान अधिवक्ता श्री अमराराम जी को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 11.02.2025 को टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 21/2025 में मौजा ग्राम चाण्डी के खसरा नम्बर 115/1 खसरा नम्बर 58/1 व खसरा नम्बर 54/1 में आगामी आदेश तक राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जिसकी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है वाद पत्र एवं टी आई प्रार्थना पत्र में आगामी सुनवाई हेतु 27.03.2025 को नियत की हुई है।

2. वादग्रस्त भूमि पैतृक होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें सावताराम के नाम दर्ज खातेदारी भूमि पैतृक है जो सावताराम को विरासत के जरिये प्राप्त हुई जिसमें सावताराम के पुत्र व पुत्रीयों का जन्म से ही हक व अधिकार है परन्तु सावताराम जी 93 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है जिनका मानसिक सन्तुलन कमजोर होने का फायदा उठाते हुये अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 व अप्रार्थीगण संख्या 03 के पति अमराराम जी अधिवक्ता ने सडयंत्र रचकर सावताराम के बडे पुत्र भवराराम को पैतृक भूमि में से बेदखल करने के आश्य से सम्पूर्ण भूमि का बक्शीशनामा अप्रार्थी संख्या 01 सावताराम से अप्रार्थी संख्या 02 नारायणराम ने अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया जिसका अप्रार्थी संख्या 04 को पता चलने पर अप्रार्थी संख्या 04 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया।

3. अधिवक्ता अमराराम जी चौधरी जो मकराना न्यायालय मकराना में वकालत करते है जो वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 07 कवरी देवी के पति है एवं वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 01 सावताराम के जवाई है जो वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 की ओर से वकील भी है एवं इसी प्रकार प्रार्थीया का पुत्र धर्माराम भी मकाराना न्यायालय में वकालत करता है जो भी वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 03, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 की ओर से वकील है उक्त वाद पत्र में जो वादी भवराराम है वह अधिवक्ता अमराराम जी का सगा साला है व धर्माराम का सगा मामा है इस प्रकार उपरोक्त वाद पत्र में दो दो अधिवक्ता पारिवारीक सदस्य है जिनका हित उपरोक्त वाद पत्र में जुड़ा हुआ है एवं जिसमें अधिवक्ता अमराराम जी उपरोक्त वाद पत्र को अपनी प्रतिष्ठा बनाकर बार–बार अनउपयोगी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाकर डे टु डे तारीख पेशी लेकर वाद पत्र/टी आई प्रार्थना पत्र में गलत निर्णय पारित करवाने पर उतारू है जिता जागता उदारण वाद पत्र संख्या 23/25 की आदेशिका है जो संलग्न प्रार्थना पत्र है जबकी वादी की आरेस से जोधपुर अधिवक्ता उपस्थित होते है फिर भी पीठासीन अधिकारी पर ओन डायस दबाव बनाकर बार–बार वाद पत्र खारिज करने के लिये दबाव बनाता है एवं डायस पर ही पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाकर कहते है कि वाद पत्र खारिज फरमावो यह मेरा व्यक्तिगत मामला है।

4. उपर वर्णित वाद पत्र संख्या 23/2025 एवं टी आई प्रार्थना पत्र संख्या 21/2025 में पीठासीन अधिकारी अधिवक्ता अमराराम जी चौधरी के दबाव में गलत निर्णय पारित कर सकते है इसलिये न्यायालय उपखण्ड अधिकरी मकराना के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है इसलिये उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी मकारना से श्रीमान [illegible] से निर्णय कराने का आदेश फरमावें।

अतः प्रार्थना पत्र [illegible] कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] वाद पत्र संख्या 23/2025 एवं टी आई प्रार्थना पत्र 21/2025 बनुवान भवरा[illegible] बनाम सावताराम को किसी अन्य सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

न्यायालय में स्थानान्तरित करने की आज्ञा प्रदान करावें। ताकि प्रार्थीया न्याय से वंचित ना हो तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही निर्णय करने बाबत् निर्देर्शित करावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पीठासीन अधिकारी अधिवक्ता श्री अमराराम चौधरी के दबाव में गलत निर्णय पारित कर सकते है। प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested